

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-79/1361/एक-1-2016-20(27)/2016

लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन वॉछित अभिलेख, याचिका समिति तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों से सम्बन्धित उद्घरण, पत्रों की छाया प्रतियों अपरिहार्य कारणवश निजी संस्थान से करायी गयी है। इस कार्य हेतु श्री अजेन्द्र कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-1 द्वारा रू0 1554/- (रूपये एक हजार पाँच सौ चौद्वन मात्र) का भुगतान अपने निजी स्रोतों से वहन किया गया। साक्ष्य स्वरूप कैश मेमो मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

2. अतः श्री अजेन्द्र कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-1 द्वारा किये गये उपरोक्त व्यय रू0 1554/- (रूपये एक हजार पाँच सौ चौद्वन मात्र) का भुगतान की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अधीन अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवाय-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय (राजस्व विभाग)-03-सचिवालय-08-कार्यालय व्यय के तहत अला जायेगा।

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-1361(1)/एक-1-2016-20(27)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि विम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, राजस्व (लेखा) को दो प्रतियों एवं बिल मूल रूप में।
4. श्री अजेन्द्र कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

विशेष सचिव।